



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-01082025-265156
CG-UP-E-01082025-265156

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3455]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 31, 2025/श्रावण 9, 1947

No. 3455]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 2025/SHRAVANA 9, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 24 जुलाई, 2025

का.आ. 3539(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), दिनांक 17 जून, 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (उत्तर मध्य रेलवे निर्माण विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 196 (अ) दिनांक 16 अप्रैल, 2025 (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् मौजूदा नई दिल्ली-हावडा (कानपुर-लखनऊ सहित), मार्ग पर गतिशीलता को 160 किमी० प्रति घण्टा/200 किमी० प्रति घण्टा करने के लिए एवं सब-सेक्शनिंग व पैरललिंग पोस्ट (SSP) के डिजाइन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग एवं कमीशनिंग हेतु अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की गई थी;

और उक्त अधिसूचना का सार अधिनियम की धारा 20 अ की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात् "दैनिक जागरण" और "दि टाइम्स ऑफ इण्डिया" में तारीख 22 जून, 2025 को प्रकाशित किया गया था; और, इस परियोजना में प्राप्त सभी अक्षेपों का निस्तारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर दिया गया है और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

यह और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

और, यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 (च) की उपधारा (04) के अनुसरण में भूमि उर्पयुक्त वर्णित भूमि में सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे व्यक्तिगत रूप से या किसी अभिकर्ता या विधि व्यवसायी के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी अर्थात्: उप जिलाधिकारी/सासनी/वि०भू०अ०अ० हाथरस के समक्ष अपना दावा इस अधिसूचना के प्रकाशन के आगामी 20 दिवस में सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस जिले के हाथरस तहसील के अंतर्गत 01 गाँव का सक्षम प्राधिकारी अर्थात्: उप जिलाधिकारी/सासनी/वि०भू०अ०अ० हाथरस के अधीन विशेष रेल परियोजना अर्थात् मौजूदा नई दिल्ली-हावड़ा (कानपुर-लखनऊ सहित) मार्ग पर गतिसीमा को 160 किमी० प्रति घण्टा/200 किमी० प्रति घण्टा करने हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिला- हाथरस

राज्य-उत्तर प्रदेश

क्र० सं०	तहसील	ग्राम	खसरा सं०	अर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र (हे० में)	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भू-स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	हाथरस	पुराकलां	385	0.0151	निजी	कृषि भूमि	चरन सिंह, महेन्द्र सिंह, रूपेश कुमार, साहब सिंह पुत्र स्व० रामप्रसाद व श्रीमती पूरन देवी पत्नी स्व० रामप्रसाद
2.	हाथरस	पुराकलां	389	0.0219	निजी	कृषि भूमि	बनवारी, रामबाबू पुत्र नत्थी लाल
3.	हाथरस	पुराकलां	390	0.0180	निजी	कृषि भूमि	दुर्गा प्रसाद पुत्र नन्द किशोर
		कुल योग		0.0550			

[ई. फा. सं. एन.सी.आर.- एच. क्यू. शून्य. सी. ई. एल. ई. (मिस्क)/133/2023-ओ./ओ.डिफ्टी.सी. ई. ई./कांस्ट/सी.एन.बी.

(कम्प्यूटर सं. 98960)]

विपिन कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
[North Central Railway /Construction Organization]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 24th July, 2025

S.O. 3539(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railway (North Central Railway, Construction department), Notification number, **S.O. 196 (E)** dated the **16th April, 2025** published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub Section (ii), **dated 17th June, 2025** (hereinafter referred to as the said notification) and issue under sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act. 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed the said notification for the purpose of Design, Supply, Erection, Testing & Commissioning of Sub-Sectioning & Paralleling Post (SSP) of Special Railway Project, namely Special Railway Project of **Raising of Speed to 160kmph/200kmph on existing New Delhi-Hawrah route (incl. Kanpur-Lucknow)** in District **Hathras** of the state of Uttar Pradesh.

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily newspapers "**Dainik Jagran**" and "**The Times of India**" **Dated 22 June, 2025** under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, all the objections received in this project have been disposed of by the Competent Authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the Schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

And, that all persons interested in the above mentioned land in pursuance of sub-section (04) of section 20(F) of the said Act by the Central Government are hereby informed that they may, personally or through an agent or legal practitioner, be notified by the competent authority **Sub Divisional Magistrate, Sasni/SLAO Hathras**, can submit his claim in the next 20 days from the date of publication of this notification in the office of the Competent Authority.

“SCHEDULE”

Brief description of the land to be acquired with or without structure, falling within the Special Railway Project of Raising of Speed to 160kmph/200kmph on existing New Delhi-Hawrah route (incl. Kanpur-Lucknow) project 01 village in Hathras tehsil of Hathras district of the State Uttar Pradesh under Sub Divisional Magistrate, Sasni/SLAO Hathras.

District-Hathras

State Uttar Pradesh

Sr. No.	Name of the Tehsil	Name of the Village	Khasra No.	Area in Hectares	Type of Land	Nature of Land	Name of The Land owner/Interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Hathras	Purakalan	385	0.0151	Personal	Agricultural Land	Charan Singh, Mahendra Singh, Rupesh Kumar, Sahab Singh s/o Late Ramprasaad & Srimati Pura Devi w/o Late Ramprasaad
2.	Hathras	Purakalan	389	0.0219	Personal	Agricultural Land	Banwari, Rambabu s/o Natthi Lal
3.	Hathras	Purakalan	390	0.0180	Personal	Agricultural Land	Durga Prasad s/o Nand Kishor
			Total	0.0550			

[e-F. No. NCR-HQ0CELE(MISC)/133/2023-O/o Dy.CEE/C/CNB (Computer No.98960)
VIPIN KUMAR, Chief Administrative Officer (Construction)]